शिक्षा और केन्द्रीय बजट

नेसार अहमद

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू हुए 6 वर्ष हो गए हैं तथा इसे पूरी तरह लागू किए जाने की दो समय सीमाएं (2013 तथा 2015) समाप्त हो चुकी हैं। फिर भी अभी देश भर में 10 प्रतिशत से अधिक स्कूल इस कानून में अनिवार्य किए गए प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सके हैं। इस राह में सबसे बड़ी रुकावट है केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला अपर्याप्त बजट। अगर इस वर्ष के केन्द्रीय बजट की बात करें तो सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का कुल बजट 79,686 करोड़ रखा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है (ग्राफ-1)। परन्तु सरकार के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में यह पिछले वर्ष के बराबर (3.7 प्रतिशत) ही है। अगर मंत्रालय के बजट की तुलना देश के सकल घरेलू उत्पाद से करें तो यह पिछले वर्ष के 0.48 प्रतिशत से घटकर 0.47 प्रतिशत पर आ गया है।

ग्राफ-1मानव संसाधन मंत्रालय का बजट(करोड़ रुपये)

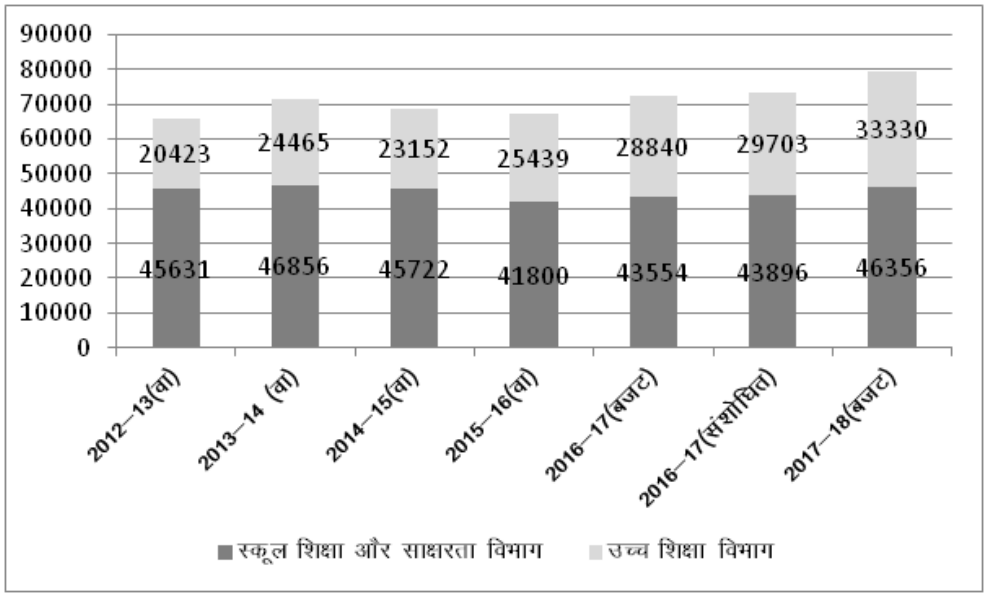

मंत्रालय के कुल बजट का 58 प्रतिशत यानी 46,356 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा विभाग को मिले हैं तथा शेष उच्च शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा की दृष्टि से महत्तवपूर्ण, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण तथा वयस्क शिक्षा शामिल हैं के बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा मात्र 1,305 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें 1000 करोड़ रुपये की सर्वाधिक

वृद्धि सर्व शिक्षा अभियान के बजट में की गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा अभियान के बजट में मात्र 130 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा अभियान का यह बजट 3,830 करोड़ रुपये है।

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार कानून 2009, 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने का संवाहक है। परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले मात्र 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। उससे भी बड़ी चिंता यह है कि पिछले कई वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के लिए स्वीकृत बजट के मुकाबले वास्तविक आंवटन काफी कम रहा है (सारणी)। पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक आंवटन स्वीकृत बजट का 50 प्रतिशत से भी कम रहा है।

सारणी–1
सर्व शिक्षा अभियान के लिए अनुमोदित बजट तथा वास्तविक आवंटन परिव्यय (करोड़ रुपये)

वर्ष	एस.एस.ए के लिए एम.एच.आर.डी द्वारा अनुमोदित	एस.एस.ए के लिए वित्तीय मंत्रालय द्वारा बजट आवंटन	अनुमोदित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में आवंटन
2012–13	45419	25555	56.3
2013–14	31016	27258	87.9
2014–15	36391	28258	77.7
2015–16	40200	22000	54.7
2016–17	46702	22500	48.2
2017–18	55000	23500	42.7

शिक्षा की गुणवत्ता

जाहिर है सर्व शिक्षा अभियान के प्रति लगातार उपेक्षा का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा है। प्रथम संस्था द्वारा हर वर्ष किए जा रहे 'असर' सर्वेक्षणों ने यह दिखाया है कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार कमी आई है। हालांकि 2016 में कुछ सुधार हुआ है। जाहिर है कि सर्व शिक्षा अभियान को मिल रहे वास्तविक आवंटन में लगातार कटौती भी इसके लिए जिम्मेदार है।

पिछले वर्ष के बजट भाषण में वित मंत्री ने कहा था कि अब जब स्कूलों में सभी बच्चों का नामांकन हो चुका है, हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। परन्तु इस वर्ष के बजट में शिक्षा की गुणवत्ता का ज़िक्र केवल एक ''नवाचार निधि'' की घोषणा के रूप में हुआ है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा लैंगिक समानता, सार्वजनिक पहुंच व कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिए होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के अन्य घटकों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 480 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष के समान ही है। भाषाई शिक्षकों के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 25 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 125 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन साथ ही स्कूल मूल्यांकन के लिए बजट 5 करोड़ रुपये से कम होकर 0.67 करोड़ रुपये हो गया है।

समावेशी शिक्षा

''उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए शिक्षा का विकास योजना'' का बजट पिछले वर्ष के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 7.9 प्रतिशत हो गया है। ''राष्ट्रीय योग्यता सह आय छात्रवृति'' तथा ''लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता'' के लिए बजट क्रमशः 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 282 करोड़ रुपये तथा 45 करोड़ रुपये बढ़ाकर 320 करोड़ रुपये

कर दिया गया है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट हांलाकि 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार इस योजना को आवंटित 100 करोड़ रुपये में से मात्र 43 करोड़ रुपये ही खर्च होने का अनुमान है।

स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत ''मदरसा तथा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना'' के लिए आवंटन 120 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के समान ही है। लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ''दलित छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ती'' का बजट 550 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उसी प्रकार दलित छात्राओं के छात्रावास के लिए मात्र 15 करोड़ रुपये आंवटित किए गए हैं। हांलाकि छात्रावास नहीं होना छात्राओं के उच्च शिक्षा में नहीं जाने का एक प्रमुख कारण होता है।

उच्च शिक्षा को प्राथमिकता!

कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा विभाग के बजट में जहां मात्र 6.45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वहीं उच्च शिक्षा विभाग का बजट 15.56 प्रतिशत से बढ़ा है। यह बढ़ोतरी सामान्य उच्च शिक्षा में नहीं होकर तकनीकी शिक्षा में हुई है। जाहिर है केन्द्र सरकार ने प्राथमिकता उच्च विशिष्ट शिक्षा के साथ कौशल विकास को दी है।

शिक्षा के लिए अपर्याप्त बजट

देश में शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधान कम हैं। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा देश में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से समुचित कर नहीं जुटा पाना है। सरकार की कर आय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मात्र 11.3 प्रतिशत है जो पिछले वर्षों में मात्र 0.9 प्रतिशत बढ़ी है। अगर केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जा रहे विभिन्न करों को जोडें तो भी भारत में कुल कर देश के सकल घरेलू उत्पाद के 18 प्रतिशत ही हैं। अगर हम देश के कर संग्रहण तथा कुल खर्च की तुलना अन्य देशों से करें तो ब्रिक्स के सभी देशों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत में सबसे कम है। ब्राजील में यह 34 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में 27 प्रतिशत, चीन में 22 प्रतिशत तथा रूस में 19.5 प्रतिशत है।

यही नहीं वर्ष 2014-15 में केन्द्र सरकार ने सकल घरेलु उत्पाद का 4.5 प्रतिशत की कर छूट दी है। बावजूद इसके कि सरकार की खर्च करने की क्षमता में लगातार कमी हो रही है। पिछले वर्षों में भारत सरकार का कुल खर्च देश के सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2012-13 में 14.2 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 12.7 प्रतिशत रह गया है।

सरकार की कुल खर्च क्षमता कम होने से सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूरे सामाजिक विकास का खर्च भी कम होता है। 50 वर्ष पूर्व कोठारी आयोग (1964-66) ने शिक्षा पर देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की थी। परन्तु वर्तमान में हमारी सरकारें (केन्द्र एवं राज्य मिलाकर) शिक्षा पर कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत ही खर्च कर पा रही हैं। अन्य ब्रिक्स देशों में शिक्षा पर कुल सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में खर्च काफी अधिक है। उदाहरण के लिए ब्राजील शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका 6 प्रतिशत, रूस 4.1 प्रतिशत खर्च करता है। जाहिर है शिक्षा क्षेत्र की ऐसी उपेक्षा के परिणाम प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च सभी स्तर पर देश के छात्रों को झेलने पड़ते हैं।

नोटः आलेख में उपयोग किए गए आंकड़े www.indiabudget.nic.in से लिए गए हैं। कुछ आंकड़े सीबीजीए दिल्ली के प्रकाशन ''व्हाट डु द नंबर्स टेल'' से भी लिए गए हैं। ब्रिक्स के आंकड़े विश्व बैंक तथा मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वेबसाईट से लिए गए हैं। ◆

लेखक परिचय : जयपुर स्थित बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बाक) के समन्वयक हैं।